राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 1 जून, 1988

क्रमांक 423-ज(1)-88/18005—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राधे श्याम शर्मा, पुत्र श्री विशम्बर दयाल शर्मा, मकान नं० 872/16, ज्योती पार्क, गुड़गावां, जिला गुड़गावां को रबी 1966 से 100 रुपये, खरीफ, 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 2 जून, 1988

क्रमांक 610-ज(1)-88/18206.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री अवतार सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह, गांव हवेली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को खरीफ 1975 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 3 जून 1988

क्रमांक 81-ज-(2)-88/18357.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुबे सिंह, पुत्र श्री सीस राम, गांव बिरोहड़, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रु० वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रु० वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार जागीर सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 8 जून, 1188

क्रमांक 722-ज(I)-88/18968.—श्री टेक चन्द, पुत्र श्री नानक, निवासी, मकान नं० 274/1 अभय निवास, न्यू रेलवे रोड, गुड़गावा, जिला गुड़गावां को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार को अधिसूचना क्रमांक 2026-ज-III-66/16757, दिनांक 18 जुलाई, 1966 द्वारा 100 रु० वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रु० और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रु० से बढ़ा कर 300 रु० वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री टेक चन्द की दिनांक 8 फरवरी, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री टेक चन्द की विधवा श्रीमती हुर भेजी के नाम खरीफ, 1981 से 300 रु० वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

ईश्वर चन्द गुप्ता,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व (लेखा तथा जागीर) विभाग।